

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधि० सं०:- 408175 ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 25/01/19  
ग्रा०वि०-3/स्था०-1-50/18

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त परीक्षा के आधार पर नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के अधीन नगर सेवा के लिए प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना, जापांक 277 दिनांक 14.01.2019 द्वारा श्री मुकेश कुमार का पुनरीक्षित वेतन स्तर-7 में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति की गयी है।

उक्त पद पर नियुक्ति होने के फलस्वरूप नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-429 दिनांक 15.01.2019 द्वारा श्री मुकेश कुमार को नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया गया है।

उक्त नियुक्ति के फलस्वरूप श्री मुकेश कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, भभुआ (कैमूर) द्वारा परीक्ष्यमान नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद के पद पर योगदान करने हेतु विरमित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः श्री मुकेश कुमार से प्राप्त आवेदन पर विचार करते हुए श्री मुकेश कुमार (अनुक्रमांक-307466), ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, भभुआ (कैमूर) को परीक्ष्यमान नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद के पद पर योगदान करने हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ विरमित किया जाता है :-

- ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में बितायी गयी अवधि कर्तव्य अवधि का वेतनादि का भुगतान देय होगा।
- बिहार सेवा संहिता के नियम-157 के तहत श्री मुकेश कुमार घोषणा पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है।
- श्री मुकेश कुमार का विद्यमान पद-ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर गहणाधिकार (Lien) नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधा कृष्ण रेखा)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 408175

दिनांक:- 25/01/19

ग्रा०वि०-3/स्था०-1-50/18

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 408175

दिनांक:- 25/01/19

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, नगरपालिका प्रशासन सह विशेष सचिव, बिहार, पटना को उनके अधिसूचना, संख्या 277 दिनांक 14.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

जापांक:- 408175

दिनांक:- 25/01/19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जापांक:- 408175

दिनांक:- 25/01/19

प्रतिलिपि:-आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)/उप विकास आयुक्त, कैमूर (भभुआ) / कोषागार पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जापांक:- 408175

दिनांक:- 25/01/19

प्रतिलिपि:- श्री मुकेश कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, भभुआ (कैमूर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि सेवा संहिता के नियम 157 के तहत जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को घोषणा पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है ।

जापांक:- 408175

दिनांक:- 25/01/19

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव